

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: एफ.6(179)परि/कर/मु./08/11

जयपुर, दिनांक: 15.09.2009

कार्यालय आदेश संख्या - 26/2009

दिनांक 8.7.2009 से राजस्थान राज्य में मोटर वाहनों पर वेट की दर 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दी गई है। वेट की दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप कतिपय डीलरों/व्यक्तियों द्वारा करवंचना की दृष्टि से अन्य राज्यों से वाहन क्रय कर राजस्थान राज्य में पंजीकृत करवाये जा रहे हैं जिससे राज्य को राजस्व की हानि हो रही है। इस प्रकार से की जा रही कर अपवंचना को रोकने की दृष्टि से सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को राज्य से बाहर क्रय कर लाये जा रहे अपंजीकृत वाहनो के संबंध में निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

1. ऐसा वाहन जो अन्य राज्यों से क्रय कर राज्य में पंजीयन हेतु लाया जाता है तथा वाहन के स्वामी द्वारा प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 47 के तहत वाहन पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नियम सम्मत पाये जाते है तो ऐसे वाहन को नियमानुसार पंजीकृत कर वाहन को पंजीयन अनुक्रमांक जारी कर दिया जादे। पंजीयन अनुक्रमांक आवंटित करने के पश्चात वाहन स्वामी को पंजीयन प्रमाण पत्र तब तक नही दिया जावे जब तक वाहन स्वामी द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के सक्षम अधिकारी से कर चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत नही किया जाता है।
2. चूंकि मोटर वाहनो पर वेट की दरों में 8.7.2009 से वृद्धि की गई है अतः यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथी से आदिनांक तक अन्य राज्यों से वाहन क्रय कर आपके क्षेत्राधिकार में पंजीकृत करवाये गये वाहनो का पूर्ण विवरण जिसमें

वाहन का पंजीयन अनुक्रमांक, वाहन स्वामी का नाम एवं पता अंकित हो की सूचना की हार्ड कॉपी एवं सोफ्ट कॉपी आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग को आवश्यक रूप से 7 दिवस में भिजवावें एवं इस संबंध में अनुपालना रिपोर्ट से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाया जावे।

उक्त आदेशो की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।




अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)

क्रमांक: एफ.6(74)परि./कर/मु./05

जयपुर, दिनांक: 15.09.2009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, वित्त सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव
2. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. समस्त कर संग्रह केन्द्र।
5. रक्षित पत्रावली।



उप परिवहन आयुक्त (कर)